UPAG010027042022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट), न्यायालय सं0–09, आगरा
पीठासीन अधिकारी–श्री परवेज अख्तर (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP06310

जमानत प्रार्थना पत्र सं0: 1405/2022

जयप्रकाश पुत्र श्री प्रेमचन्द, निवासी–08/138, भोगीपुरा, थाना–शाहगंज, जिला–आगरा। उम्र लगभग 28 वर्ष।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....विपक्षी

मु0अ0सं0–99/2022,
धारा–8/20 N.D.P.S. ACT.
थाना–सदर बाजार, जिला आगरा।

दिनांक: 11.03.2022

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त **जयप्रकाश** की ओर से अपराध सं0 99/2022 अन्तर्गत धारा–8/20 N.D.P.S. Act., थाना–सदर बाजार, जिला–आगरा में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में श्रीमती मेना देवी पत्नी प्रेमसिंह द्वारा इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि वह अभियुक्त की माँ है एवं पैरोकार मुकदमा है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई भी प्रार्थनापत्र पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही किसी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कोई प्रार्थनापत्र विचाराधीन है और न ही खारिज किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 08.03.2022 को वादी उ0नि0 नीरज कुमार मय हमराहीगण के थाना हाजा से बहवाले रपट सं0–06 समय 4:30 बजे बिनावर गस्त, शान्ति व्यवस्था ड्यूटी व रोकथाम जुर्म जरायम में रवाना होकर पुलिस चौकी लाल कुर्ती क्षेत्र में गस्त में मामूर था कि जैसे ही सोहल्ला की ओर गस्त करते हुए जा रहे थे, तो एक स्कूटी सवार व्यक्ति सामने से आ रहा था, जो हम पुलिसवालों को देखकर सकपकाया और अपनी स्कूटी को

सोहल्ला की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ कर वापस जाने लगा। आवाज लगाने पर अपनी स्कूटी छोड़कर भागने लगा। पुलिस वालों ने एकबारगी दबिश देकर घेर घोटकर सौहल्ला रेलवे बिजली घर तिराहा पर समय करीब 7:20 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से भागने का कारण पूछा तो बताया कि मेरे पास 2 कि0ग्रा0 अवैध गांजा है, इसलिए पकडे जाने के भय से भाग रहा था। इस पर पकड़े गये व्यक्ति को अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देने को कहा, तो पकड़े गये व्यक्ति ने कहा कि आपने मुझे पकड़ लिया है। आप पर पूर्ण विश्वास है। आप ही जामातलाशी ले लो। पकड़े गये व्यक्ति की सहमति पर सहमतिपत्र तैयार किया गया। नाम पता पूछते हुये जामातलाशी ली गयी तो अभियुक्त के कब्जे से एक्टिवा स्कूटी नंबर यू0पी0–80 ई0जे0 1149 की तलाशी ली गई तो स्कूटी में रखे हुए सफेद रंग के थैले के अंदर एक पीले रंग की पन्नी टेप से लिपटा हुआ गांजा बरामद हुआ, जिसको अपने पास मौजूदा इलैक्ट्रिोनिक कांटे से तौला गया तो वजन 2 किलोग्राम पाया गया। पकड़े गये व्यक्ति से गांजा रखने का लाईसेन्स तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा। नियमानुसार सीलकर सील सर्वे मोहर तैयार कर कर नमूना मोहर बनाया गया। फर्द मौके पर उ0नि0 द्वारा अपने लैपटॉप से उपनिरीक्षक शक्ति राठी को बोल–बोल कर टाईप करायी गयी।

उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर थाना–सदर बाजार, आगरा में मुकदमा अपराध सं0–99/2022 अन्तर्गत धारा–8/20 N.D.P.S. Act., में प्राथमिकी अंकित की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है उसे झूंठा फंसाया गया है। पुलिस पार्टी द्वारा गुडवर्क दिखाने के लिए उपरोक्त मामले में झूंठा बंद किया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.03.2022 को शाम करीब 6:00 बजे जूते की डिलीवरी देकर लौट रहा था तथा पुलिस ने वाहन चैकिंग हेतु रोक लिया और अभियुक्त वाहन से सम्बन्धित सभी कागजात मांगने पर प्रार्थी/अभियुक्त ने सभी कागजात दिखाये फिर भी पुलिस चालान काट रही थी इसी बात को लेकर बहस हो गयी और प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस स्कूटी सहित थाने ले गयी और रंजिशन झूंठा मुकदमा लिखा दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 08.03.2022 सुबह 7:30 बजे की दर्शायी गयी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 08.03.2022 को सुबह 9:44 बजे दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी के पास से कोई अपराध सम्बन्धी वस्तु बरामद नहीं हुयी है। घटना का कोई भी स्वतन्त्र गवाह नहीं दर्शाया गया है, इससे स्पष्ट है कि तथाकथित बरामदगी संदिग्ध है। किसी भी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा जामातलाशी नहीं ली गयी है

जबकि उपरोक्त अपराध में अधिनियम के अन्तर्गत राजपत्रित अधिकारी द्वारा जामातलाशी लेना अनिवार्य है। मामले में एन0डी0 पी0एस0 एक्ट के प्रावधानों का पालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। जनता का कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं दर्शाया गया है। अभियुक्त दिनांक 08.03.2022 से जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध है। अतः आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की जाती है।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कहा है कि मामले में पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त को सहअभियुक्त के साथ पकड़े जाने पर उनके कब्जे से 02 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। यदि जमानत प्रदान की गयी तो वह पुनः अपराध में संलिप्त हो सकता है। अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना। केस डायरी तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

केस डायरी एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 08.03.2022 को थाना–सदर बाजार की पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को सौहल्ला रेलवे बिजली घर तिराहा पर एकबारगी दबिश देकर गिरफ्तार किया जाना कथित है तथा अभियुक्त के पास से एक्टिवा स्कूटी में रखा 2 किलोग्राम (दो किलोग्राम) अवैध नशीला पदार्थ (गांजा) की बरामदगी दर्शित की गयी है। अभियुक्त से दर्शित कथित उक्त बरामदशुदा नशीले पदार्थ (गांजा) की मात्रा, लघु मात्र (1 किलोग्राम) से अधिक परन्तु वाणिज्यिक मात्रा (20 किलो ग्राम) से काफी कम है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी दर्शित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 08.03.2022 से जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण–दोष पर कोई भी मत व्यक्ति किये बिना, जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **जयप्रकाश पुत्र श्री प्रेमचन्द** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी/अभियुक्त **जयप्रकाश पुत्र श्री प्रेमचन्द** को निम्न शर्तों पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है :–

1. प्रार्थी/अभियुक्त मु0 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूगण न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करेगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा तथा विवेचक/न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त इस आशय की अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि वह प्रकरण से सम्बन्धित किसी भी साक्षी को किसी भी तरीके से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा एवं विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई गवाह हाजिर होगा, वह अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा एवं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा जमानत की स्वतन्त्रता का दुरूपयोग नहीं करेगा।

दिनांक :– 11.03.2022

Sd/-
(परवेज़ अख्तर)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (N.D.P.S. Act.),
न्यायालय सं0–09, आगरा।